FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रेम कँवर पुत्री छीतरसिंह नि0 श्रीमाधोपुर बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा – दावा अधारा 88 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर:– 152/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
29-09-2025	वादीया प्रेम कँवर पुत्री छीतरसिंह, जाति राजपूत निवासी पुष्पनगर श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने उपस्थित होकर एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट का पेश किये जाने पर मूल वादपत्र को जॉच हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को मूल ही प्रेषित किया गया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा सम्बन्धित पटवारी हल्का बागरियावास से जॉच रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का बागरियावास की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 2643/भू.अ./2025 दिनांक 26.09.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को भिजवाई गई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादपत्र को अन्तर्गत धारा–88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम बागरियावास के भूमि खाता संख्या 56 के भूमि खसरा नम्बर 982 रकबा 0.70 हैक्टर व खसरा नम्बर 1014/990, 1015/990, 1016/990, 989, 991 कुल किता 5 कुल रकबा 3.61 हैक्टर के खातेदार मुन्नीकँवर पुत्री छीतरसिंह हिस्सा 1/64 जाति राजपूत जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदार मुन्नीकँवर पुत्री छीतरसिंह का यह नाम उसके पिता छीतरसिंह पुत्र शैतानसिंह के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 648 दिनांक 16.08.2019 के द्वारा शपथ पत्र पेश किये जाने पर रिकार्ड में आया है। उक्त खातेदार मुन्नीकँवर पुत्री छीतर सिंह का अन्य दस्तावेजों यथा पेनकार्ड, आधार कार्ड में [illegible] प्रेमकँवर [illegible] सिंह दर्ज है। वहीं ग्रामीणों से पूछताछ करने [illegible] पुत्री छीतरसिंह का बोलता नाम मुन्नीकँवर [illegible] तथा प्रेमकँवर पुत्री छीतरसिंह एंव मुन्नीकँवर पुत्री छितर सिंह दो[illegible]क ही व्यक्ति के नाम होने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट में इसे दुरूस्त किये जाने बाबत अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में की गई है। हमने वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, रिपोर्ट पटवारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:33:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रेम कंवर बनाम ... श्रीमाधोपुर

दावा मु.नं. 1__/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की त... में जारी हु...
	हल्का बागरियावास व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात् प्रशासक, ग्राम पंचायत बागरियावास, आधार कार्ड की फोटोप्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति, नामान्तकरण संख्या 648 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बागरियावास के भूमि खसरा नम्बर 982 रकबा 0.70 हैक्टर व खसरा नम्बर 1014 / 990, 1015 / 990, 116 / 990, 989, 991 कुल किता 5 कुल रकबा 3.61 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में खातेदार मुन्नीकँवर पुत्री छीतरसिंह जाति राजपूत के नाम हिस्सा 1 / 64 दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खातेदारी मुन्नीकँवर पुत्री छीतरसिंह के पिता छीतरसिंह के फौत होने पर जरिये विरासतन नामान्तकरण संख्या 648 दिनांक 16.08.2019 के द्वारा स्वीकृत होकर खातेदारी वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होती है तथा इसके बाद जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में वादीया का नाम मुन्नीकँवर पुत्री छीतरसिंह जाति राजपूत सा. देह के नाम दर्ज होना प्रकट होता है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड में वादीया का सही नाम प्रेम कँवर पुत्री छीतर सिंह जाति राजपूत अंकित होना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा -88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम बागरियावास के भूमि खाता संख्या 56 के भूमि खसरा नम्बर 982 रकबा 0.70 हैक्टर व खसरा नम्बर 1014 / 990, 1015 / 990, 1016 / 990, 989, 991 कुल किता 5 कुल रकबा 3.61 हैक्टर की खातेदारी में दर्ज वादिया का नाम मुन्नीकँवर पुत्री छीतरसिंह हिस्सा 1 / 64 जाति राजपूत के स्थान पर प्रेम कँवर पुत्री छीतर सिंह जाति राजपूत घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने की स्वी[illegible] जाती है। तदनुसार दुरूस्ती किये जाने [illegible] को तहरीर आदेश जारी हो। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:33:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)